भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

बनाम

मैसर्स इन्फॉर्मेटिक्स वैल्यूएश्न एंड रेटिंग प्रा.लि.

सिविल अपील संख्या 291/2012

निर्णय: 19.02.2013

सुरिंदर सिंह निज्जर एवं एम.वाई. इकबाल, न्यायमूर्तिगण

कम्पनी अधिनियम, 1956-धारा 4 ए-भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992-धारा 15Z-अन्वेषण प्रमोटर यह अपील भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण मुबंई ("एसएटी") द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुये सेबी, जिसके पूर्णकालिक सदस्य द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") के द्वारा दिये गये आदेश व सूचना को अपास्त किया गया था - आक्षेपित आदेश द्वारा एसएटी ने प्रत्यर्थी के क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी ("सीआरए") के रूप में पंजीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने के लिए प्रकरण को पुनः अपीलार्थी के पास प्रेषित किया, प्रत्यर्थी को उसके प्रमोटरों के ऑडिट किये गये वार्षिक खातों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बिना क्या ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, इस उद्देश्य से आधारभूत तथ्यों पर ध्यान देते हुये सीमित विधिक उद्देश्य हेतु आवश्यकता निर्धारित करने का आदेश दिया। इस अपील में विवादित मुद्दा - निर्धारित, न्यायालय एसएटी द्वारा की गई टिप्पणियों को स्वीकार करने में असमर्थ है कि "न तो नियम और न ही फॉर्म ए के पात्रता मानदण्ड में आवेदक को प्रमोटर के वार्षिक खाते प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, क्या बोर्ड ऐसा कर सकता है,

इस संबंध में की गई एसएटी की टिप्पणी भी स्वीकार किये जाने में संदेह है।" चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यता व शुद्धता पर संदेह किये बिना उसका आवेदक प्रमाण पत्र के साथ प्रमोटर के आवश्यक शुद्ध मूल्य का प्रमाण मांगा गया है - विनियमन बोर्ड के साथ सख्ती से पालना आवश्यक है, ताकि प्रत्यर्थी को अतिरिक्त समय दिया जा सके। विनिमय के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञेय अधिकतम 60 दिनों से भी अधिक समय तक आपत्तियों को दूर करने का समय दिया गया - ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, तब भी जांच जारी रही और प्रत्यर्थी के आवेदन को अस्वीकार नहीं किया गया, इस प्रकार उसके आवेदन को अस्वीकार करते हुये, जो विलम्ब कारित किया गया, वह अनुचित था। इसके द्वारा प्रत्यर्थी को बिल्कुल भी सहानुभूतिपूर्वक अनुमति नहीं दी गई। अनुरूप नियम इस छूट का लाभ उठाते हुये प्रत्यर्थी ने आवेदन की तारीख से पहले के पांच वर्षों के लिए लेखा परीक्षित खाते प्रदान किये हैं - प्रत्यर्थी ने इस न्यायालय को सूचित करते हुये मैसर्स कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड का एक लेखा परीक्षित खाता भी सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर दिया है - चूंकि बोर्ड ने प्रत्यर्थी के लिए विधि द्वारा अनुज्ञेय समय सीमा के बाद भी समय बढ़ाया था, न्यायालय एसएटी द्वारा जारी निर्देशों को संशोधित करने के लिए सहमत नहीं है - विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रत्यर्थी अगले दो वर्षों के लिए भी प्रमोटरों के लेखा परीक्षित खातों को प्रस्तुत करने हेतु तत्पर है - अपील निरस्त कर दी गई

कंपनी अधिनियमः एस.4(ए)

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियमः एस.11, एस.30, एस.11(2), एस.15(जेड), एस.30(2)(डी)

1. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') की धारा 15Z के अन्तर्गत यह अपील, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुम्बई (''एसएटी'') द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं अंतिम आदेश दिनांक 09.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। इस आदेश के माध्यम से मैसर्स इंफॉर्मेटिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान प्रत्यर्थी) द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 155/2011 स्वीकार करते हुये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (''सेबी'') द्वारा की गयी संसूचना दिनांक 21.07.2011 को अपास्त किया गया। आक्षेपित आदेश के माध्यम से अधिकरण द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करते हुये प्रत्यर्थी के क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (''सीआरए'') के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर दोनों प्रमोटरों के ऑडिट किये गये दिसम्बर, 2010 को समाप्त हो रहे वार्षिक खाते को प्रस्तुत किये बिना उक्त आवेदन पर विचार करने का आदेश दिया गया।

2. यहां हम उन आधारभूत तथ्यों पर विचार कर सकते हैं जो इस अपील में सीमित विधिक प्रश्न के निर्धारण हेतु अन्तरवर्लित है।

3. प्रत्यर्थी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज) विनियम, 1999 (''सीआरए विनियम, 1999'') के विनियम 3 के अन्तर्गत सीआरए के रूप में पंजीयन करने की मांग करते हुये सेबी के समक्ष 11 जून, 2009 को एक आवेदन प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी कम्पनी की स्थापना 23 जून, 1986 को हुई थी। प्रतिवादी के प्रमोटर बताये गये हैं:

मैसर्स. मैसर्स के माध्यम से कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड। एसीई स्टेप मैनेजमेंट लिमिटेड

मैसर्स. वी. मलिक एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सभी लेखांकन और प्रबंधन बैकअप के लिए कंसोर्टियम सदस्य।

इन्फोमेरिक्स इंडिया फाउंडेशन नीति निर्माण बोर्ड के रूप में कंसोर्टियम सदस्य।

4. अपीलार्थी (सेबी) प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए सेबी अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक बोर्ड है। सेबी अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत, अपीलार्थी प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए ऐसे उपायों से बाध्य है, जो वह उचित समझता है। धारा 11(2) अन्य बातों के साथ-साथ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, प्रतिभूतियों के संरक्षकों, विदेशी संस्थागत निवेशकों, क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों एवं बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अधिसूचना के अनुसार अन्य मध्यस्थों के कामकाज को विनियमित करने हेतु विशेष रूप से आवश्यक उपाय करने में समर्थ बनाती है।

5. उपरोक्त शक्ति के अनुसरण में जुलाई, 1999 में सेबी ने सेबी अधिनियम की धारा 11 सहपठित धारा 30 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीआरए को अपने नियामक दायरे में लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की।

6. सीआरए विनियम, 1999 अपीलार्थी को भारत में कार्यरत सीआरए को विनियमित करने का अधिकार देता है। सीआरए विनियम, 1999 के अन्तर्गत सीआरए को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में परिभाषित किया गया था, जो सार्वजनिक या राइट्स इश्यू के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों की रेटिंग के व्यवसाय में लगा हुआ है या संलग्न होने का प्रस्ताव करता है। सेबी ने उपरोक्त नियमों में सीआरए द्वारा पालन की जाने वाली एक आचार संहिता भी निर्धारित की है। सीआरए विनियम, 1999 में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं:

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के पंजीकरण से संबंधित विनियम, प्रारंभिक और स्थायी प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के प्रमोटर के लिए पात्रता मानदंड, प्रमोटर द्वारा जानकारी, स्पष्टीकरण और व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करना, अनुदान सेबी द्वारा प्रमाण पत्र, इसकी शर्तें और प्रमाणपत्र को अस्वीकार करने की प्रक्रिया और इसका प्रभाव।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के सामान्य दायित्व, आचार संहिता, ग्राहकों के साथ अनुबंध, रेटिंग की निगरानी और प्रक्रिया और रेटिंग की समीक्षा की प्रक्रिया, अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति, खातों और रिकॉर्ड की उचित पुस्तकों का रख-रखाव, आदि।

प्रवर्तकों या कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों की रेटिंग पर प्रतिबंध

निरीक्षण एवं जांच की प्रक्रिया

चूक की स्थिति में कार्रवाई की प्रक्रिया

7. 11 जून, 2009 को प्रतिवादी ने सीआरए विनियम, 1999 के विनियम 3 के अन्तर्गत सेबी को एक आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय का विधिवत दौरा और निरीक्षण किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपेक्षित सभी जानकारी प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा अपेक्षित अभिवचन और पुष्टियाँ भी प्रदान की गई। 20 अगस्त, 2009 के पत्र द्वारा अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी से अपने प्रमोटरों का पूरा विवरण प्रस्तुत करने, सीआरए विनियम, 1999 के विनियमन 4 (ई) के अन्तर्गत उनकी पात्रता की स्थिति की पुष्टि करने, प्रमोटर के नेट मूल्य प्रमाण पत्र में अंकित की गई विसंगति पर टिप्पणी करने की मांग की, शुद्ध आय प्रमाण पत्र आदि। यह भी निर्देशित किया

गया कि सीआरए विनियम, 1999 के विनियम 4(ई) के अन्तर्गत आवेदक को यह बताना आवश्यक है कि सीआरए विनियम, 1999 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए बोर्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व के पांच वर्षों के लेखा परीक्षित वार्षिक खाते में प्रमोटरों के पास खाते के अनुसार न्यूनतम 100 करोड़ रुपये की निरन्तर शुद्ध सम्पत्ति नहीं है। यह भी बताया गया है कि यद्यपि मैसर्स एसीई स्टेप मैनेजमेंट लिमिटेड, प्रत्यर्थी प्रमोटर के आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व के गत पांच वर्षों के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार न्यूनतम 100 करोड़ रुपये की शुद्ध सम्पत्ति रही थी, तथापि यह शुद्ध सम्पत्ति दिनांक 29 मई, 2009 जो लेखाकारों द्वारा प्रमाणित है, मैसर्स कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड से संबंधित है। इसलिए प्रत्यर्थी को उपरोक्त विसंगति पर अपनी टिप्पणी देने एवं सीआरए विनियम, 1999 के सुसंगत प्रावधानों की पालना आवश्यक शुद्ध मूल्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।

8. प्रत्यर्थी ने अपने पत्र दिनांक 21 अगस्त, 2009 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा बताई गई उपरोक्त विसंगति का उत्तर प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी ने कहा कि मैसर्स कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड ने अपनी सहयोगी कंपनी मैसर्स के माध्यम से अपीलार्थी कंपनी में निवेश किया है। एसीई स्टेप मैनेजमेंट लिमिटेड, जिसके पास अपनी कंपनी में 3,65,000 (तीन लाख पैंसठ हजार) 10.84 प्रतिशत इक्विटी शेयर थे, वह सीआरए विनियम, 1999 के विनियम 4(ई) के मापदंडों के अन्तर्गत है। प्रत्यर्थी ने यह भी पुष्टि की कि मैसर्स कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड प्रत्यर्थी कंपनी की प्रमोटर है, जिसकी बोर्ड के पास आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व पिछले पांच वर्षों के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार न्यूनतम 100 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति है। चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शुद्ध मूल्य प्रमाण पत्र सीआरए विनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुपालन में है, इसलिए यह कहा गया कि इसमें कोई

विसंगति नहीं है। फिर भी इससे स्पष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी ने दिनांक 1 सितम्बर, 2009 को एक ई-मेल (5.36 पी.एम.) भेजते हुये प्रत्यर्थी को सेबी के पास आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व के पिछले पांच वर्षों के लिए प्रत्यर्थी कम्पनी के प्रमोटरों के लेखा परीक्षित वार्षिक खाते प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2009 को एक पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को फिर से सूचित किया गया कि उनके प्रमोटरों मैसर्स कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड की पिछले पांच वर्षों के वार्षिक खातों के अनुसार 100 करोड़ रुपये की निरन्तर शुद्ध सम्पत्ति नहीं है। उनके खातों का ऑडिट किया गया है और उन्होंने अपीलार्थी को इस आशय का एक प्रमाण पत्र अपने बैंकर आईएनजी एशिया प्राइवेट बैंक लिमिटेड, दुबई का प्रदान किया है। उपरोक्त पत्र के साथ प्रमाण पत्र संलग्न किया गया। आईएनजी बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र इस प्रकार थाः-

‘‘आईएनजी

निजी बैंकिग

दिनांकः 21 मई 2009

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

यह पुष्टि की जाती है कि मैसर्स कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड, लेस कैस्केड बिल्डिंग, एडिथ कैवेल स्ट्रीट, पोर्ट लॉरिस, मॉरीशस गणराज्य, कटारिया समूह का भाग की, पिछले पांच वर्षों के खातों के अनुसार कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपये से अधिक रही है।

हम यह भी पुष्टि करते हैं कि मैसर्स एसीई स्टेप मैनेजमेंट लिमिटेड को मैसर्स कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड द्वारा आगे बढ़ाया गया है।

उपरोक्त जानकारी हमारे ग्राहक के अनुरोध पर अत्यंत गोपनीय रीति से दी गई है और इसकी अंतर्वस्तु या उस पर निर्भरता के लिए बैंक और/या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी की कोई जिम्मेदारी या संलग्नता नहीं है। पत्र में बैंक की ओर से कोई मार्गदर्शन नहीं दिया गया है।

आपका विश्वासी,

एसडी/-

नितिन भटनागर

निदेशक एवं प्रमुख दक्षिण एशिया टीम''

9. पत्र में आगे स्पष्ट किया गया कि ''क्योंकि कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड की बैलेंसिग शीट एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है, तथापि हमारी कंपनी में हिस्सेदारी के मामले में यह 10.84 प्रतिशत है, लेकिन उनके संदर्भ में यह एक छोटा सा निवेश है, जो हमारे साथ बैलेंस शीट साझा करने के लिए उन्हें उचित नहीं लगेगा। हालांकि, उनके बैंकरों ने यह पुष्टि की है कि प्रमाण पत्र के अनुसार यह सेबी विनियमन के अनुपालन के अंतर्गत है।'' मैसर्स कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड प्रमोटर कंपनी के बैंकरों द्वारा की गई पुष्टि को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी से बैंकर्स प्रमाण पत्र पर विश्वास करने का निवेदन किया।

10. आगे यह भी बताया गया कि किसी भी स्थिति में प्रत्यर्थी ने पिछले 5 वर्षों का वार्षिक लेखा प्रस्तुत किया था। हालांकि, उपरोक्त प्रमाण पत्र के बावजूद, अपीलार्थी ने अपने पत्र दिनांक 15 सितंबर, 2009 के माध्यम से प्रत्यर्थी को यह अभिवचन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी का प्रमोटर या प्रत्यर्थी का कोई सहयोगी विदेश में किसी नियामक एजेंसी के साथ पंजीकृत है या नहीं और

प्रत्यर्थी को यह भी निर्देश दिया कि वह आवेदन प्रस्तुत करने से पहले 5 वर्षों के लिए प्रमोटरों के लेखा परीक्षित वार्षिक खाते भी प्रस्तुत करे।

11. प्रत्यर्थी ने दिनांक 21 सितंबर, 2009 को एक पत्र द्वारा सूचित किया कि वह प्रत्यर्थी द्वारा ही पांच साल की अवधि के लिए बैलेंस शीट प्राप्त होते ही अपीलार्थी ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2009 के अपने पत्र द्वारा प्रत्यर्थी को अंकेक्षित वार्षिक खाते और प्रत्यर्थी के प्रमोटरों की विस्तृत प्रोफाइल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। 26 नवंबर, 2009 को प्रत्यर्थी ने अपने प्रमोटरों की विस्तृत प्रोफाइल और प्रमोटरों के बारे में विशिष्ट विवरण जैसे उनकी गतिविधियों का विवरण, निदेशक मंडल की संरचना और पिछले पांच वर्षों के उनके वित्तीय परिणामों का सारांश प्रस्तुत किया। हालांकि, पाँच वर्ष की अवधि के लिए बैलेंस शीट प्रस्तुत नहीं की गई थी। सभी जानकारी प्रस्तुत करने के बाद प्रत्यर्थी ने अपने पत्र दिनांक 11 जनवरी, 2010 द्वारा सीआरए के रूप में पंजीकृत होने के लिए अपने लंबित आवेदन दिनांक 11 जून, 2009 को स्वीकार करने का निवेदन किया। हालांकि, बार-बार निवेदन के बावजूद आवश्यक पंजीकरण जारी नहीं किया गया। बल्कि, अपीलार्थी ने दिनांक 28 जुलाई, 2010 के पत्र द्वारा एक बार फिर प्रत्यर्थी को अपने प्रमोटरों मैसर्स कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड के वर्ष 2006 से 2009 की अवधि के ऑडिटेड वार्षिक खाते प्रस्तुत करने की सलाह दी। ऐसा प्रतीत होता कि 1 मार्च, 2011 तक अपीलार्थी आवश्यक लेखा परीक्षित खातों की आपूर्ति के लिए प्रत्यर्थी द्वारा किए गए प्रयासों से संतुष्ट नहीं था और इस आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि सीआरए विनियम, 1999 के विनियम 11(1) के अनुसार प्रस्तुत पंजीकरण आवेदन को क्यों नहीं अस्वीकार कर दिया जावें।

12. हम इस बात का नोटिस ले सकते है कि कारण बताओ नोटिस में विशेष रूप से निर्देशित प्रमोटर मैसर्स कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड के पंजीयन

आवेदन से पूर्व के पिछले पांच वर्षों के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों को प्रत्यर्थी प्रस्तुत कर पाने में असफल रहा है। यह भी बताया गया कि प्रत्यर्थी ने सीआरए विनियम, 1999 के विनियम 7 (1) सहपठित विनियम 4(ई) के अन्तर्गत अर्हता को पूरा नहीं किया है। इसलिए सीआरए विनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार पंजीयन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के दौरान अपीलार्थी बोर्ड द्वारा चाही गई सूचना को प्रस्तुत करने में प्रथम दृष्टया समर्थ नहीं था, ऐसा सेबी का विचार रहा था। प्रत्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब दिनांक 04.03.2011 में प्रकट किया गया कि अपीलार्थी द्वारा मैसर्स कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड की वस्तुस्थिति के संबंध में सीधे ही मॉरीशस नियामक प्राधिकरण से पूछताछ करते हुये उनकी साख के संबंध में समस्त विवरण एकत्र करके दो तरफा जांच-पड़ताल की जा चुकी है। उपरोक्त समस्त जांच के बावजूद अपीलार्थी द्वारा उसी सूचना को पुनः देने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जो सेबी विधि अथवा विनियमों के अनुसार पंजीयन हेतु पूर्व शर्त नहीं रही है। यह भी स्पष्ट किया गया कि यद्धपि यह सूचना दिया जाना नियमों के अन्तर्गत आवश्यक नहीं है, तो भी निवेशक कम्पनी एवं आवेदक सेबी का सम्मान करते हुये एवं कम्पनी की साख एवं विश्वसनीयता बनाये रखने के आशय से बैंलेस शीट प्रस्तुत करने हेतु सहमत है। वास्तविक रूप से प्रत्यर्थी द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया है कि अन्य निवेशक कम्पनियों के वार्षिक खातों को प्रस्तुत करवाये बिना उनका पंजीयन कर दिया गया है और इस प्रकार प्रत्यर्थी के साथ समानता से व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तत्पश्चात प्रत्यर्थी द्वारा अपने पत्र दिनांक 15 मार्च, 2011 एवं 18 मार्च, 2011 के माध्यम से मैसर्स कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड के 31 दिसम्बर, 2003 से 31 दिसम्बर, 2007 की अवधि के लेखा परीक्षित वार्षिक खाते प्रस्तुत किये गये। उनके निवेदन पर सेबी के पूर्णकालिक सदस्य द्वारा 10 जून, 2011 को प्रत्यर्थी को व्यक्तिशः सुनवाई का

अवसर दिया गया। हालांकि व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान भी प्रत्यर्थी को मैसर्स कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड के वर्ष 2009 एवं 2010 के लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत करने की सलाह दी गयी। फिर से 24.06.2011 को अपीलार्थी के पूर्णकालिक सदस्य ने प्रत्यर्थी को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि कौन-सी इकाइयां उसकी प्रमोटर है और उस पर विचार करने का क्या आधार है और उस प्रमोटर/प्रमोटर्स के निर्धारित सूत्र के अनुसार शुद्ध सम्पत्ति की गणना के साथ-साथ पिछले पांच वर्षों के अंकेक्षित वार्षिक खाते 15 जुलाई, 2011 तक प्रस्तुत करने का आदेश दिया एवं अपालना करने की स्थिति में प्रत्यर्थी का आवेदन निरस्त माने जाने का तथ्य भी प्रकट किया गया। पूर्णकालिक सदस्य द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा प्रदान किये गये विवरण के आधार पर 15 अगस्त, 2011 तक आदेश के अनुसरण में विधिसम्मत निर्णय लेने का भी निर्देश दिया। प्रत्यर्थी द्वारा 5 जुलाई, 2011 को उपरोक्त आदेश के पुनर्विलोकन/पुनर्विचार हेतु निवेदन किया, किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी का आवेदन 21 जुलाई, 2011 को निरस्त कर दिया गया। 13. इस निरस्तीकरण से व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने एसएटी के समक्ष अपील संख्या 155/2011, 30 अगस्त 2011 को प्रस्तुत की, जो दिनांक 21 जुलाई, 2011 की संसूचना एवं अपीलार्थी के पूर्णकालिक सदस्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 24 जुलाई, 2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। एसएटी द्वारा अपने निर्णय एवं आदेश दिनांक 9 नवम्बर, 2011 के माध्यम से अपील स्वीकार करते हुये आक्षेपित आदेश दिनांक 24 जुलाई, 2011 एवं 21 जुलाई, 2011 अपास्त किया गया एवं अपीलार्थी को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुये आवेदन पर दिसम्बर, 2010 तक के दो वर्षों के खाते प्रस्तुत किये बिना विचार करने का निर्देश प्रदान किया गया। एसएटी के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर सेबी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष सेबी अधिनियम की धारा 15**Z** के अन्तर्गत यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

14. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना।

15. एसएटी द्वारा विनियम 4(ई), विनियम 7 एवं फॉर्म ए की व्याख्या करते हुये सेबी द्वारा अपील स्वीकार की गई। यह पाया गया किः

''एक आवेदन 11 जून, 2009 को दायर किया गया था और यह विनियम 4(ई) की आवश्यकता है कि आवेदक के प्रमोटरों में से एक की कुल संपत्ति पिछले पांच वर्षों के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार एक सौ करोड़ रुपये होनी चाहिए। आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, फॉर्म ए निर्धारित करता है कि आवेदक को अपने प्रमोटर की शुद्ध संपत्ति के बारे में तथ्य को प्रमाणित करने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और बोर्ड ने किसी भी स्तर पर इसकी सत्यता पर प्रश्न नहीं उठाया है। ऐसा किए बिना वह (बोर्ड) प्रमोटर से वार्षिक हिसाब-किताब नहीं मांग सकता थ'

16. यह भी कहा गया कि प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन फॉर्म ए में किया जाना है, जैसा कि विनियमों की पहली अनुसूची में निर्धारित है। उसमें निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदक को एक चार्टेड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा, जो यह प्रमाणित करे कि विनियम 4(ई) में संदर्भित प्रमोटर के मामले में उसकी कुल सम्पत्ति पांच वर्षो की निरन्तरता में 100 करोड़ रुपये की रही थी। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को उसके किसी एक प्रमोटर के आवेदन प्रस्तुति से पूर्व के पांच वर्षों के लेखा खाते प्रस्तुत करने के संबंध में दिये गये निर्देश के संबंध में एसएटी द्वारा कहा गयाः-

''यह उल्लेखनीय है कि न तो नियमों और न ही फॉर्म ए में आवेदक को प्रमोटर के वार्षिक खाते प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।''

अपने पूर्व दृष्टिकोण को ही दोहराते हुये एसएटी ने आगे कहाः

''यह संदेहास्पद है कि क्या बोर्ड आवेदन के साथ प्रस्तुत चार्टेड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र की सत्यता एवं शुद्धता पर संदेह किए बिना यह जानकारी मांग सकता था''

''जैसा कि पूर्व में अंकित किया गया है, फॉर्म ए यह प्रावधित करता है कि आवेदक को अपने प्रमोटर की शुद्ध संपत्ति को प्रमाणित करने हेतु चार्टेड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो आवेदक द्वारा किया गया। बोर्ड ने किसी भी स्तर पर इस प्रमाण पत्र की सत्यता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया है और इस प्रकार प्रश्न उठाये बिना बोर्ड प्रमोटर का वार्षिक लेखा नहीं मांग सकता था।''

उपरोक्त के अतिरिक्त एसएटी ने यह भी पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुति से पूर्व के पांच वर्षों के खाते भी विधिवत प्रस्तुत किये गये थे। हालांकि इसके पश्चात बोर्ड ने प्रत्यर्थी को दिसम्बर, 2010 तक समाप्त होने वाले वर्ष के दो ओर वर्षों के खाते प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। चूंकि प्रत्यर्थी दो वर्ष के खातों को प्रस्तुत करने में असफल रहा है, इसलिए सीआरए द्वारा प्रत्यर्थी का पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया गया है। यह निर्धारित किया गया कि विनियम 7 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुति की तिथि के बाद दो वर्षों के खाते प्रस्तुत करने का निर्देश उचित नहीं है। यह भी निर्धारित किया गया कि विनियम 7 में संदर्भित ऐसी अतिरिक्त सूचना का तात्पर्य पूर्व से ही प्रस्तुत की गयी सूचना के अतिरिक्त कोई भी सूचना होगी। एसएटी द्वारा की गयी प्रासंगिक टिप्पणी हैः

''निश्चित रूप से बोर्ड द्वारा कोई सूचना नहीं मांग रहा था। बोर्ड के द्वारा केवल वह आधारभूत जानकारी मांगी जा रही थी, जिसके आधार पर चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा अपीलार्थी के एक प्रमोटर की पिछले पांच वर्षों की शुद्ध सम्पत्ति 100 करोड़ रुपये होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया। यदि बोर्ड को किसी भी प्रक्रम

पर चार्टेड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र की शुद्धता या सत्यता पर संदेह हो, तो यह जानकारी मांगी जा सकती है।''

17. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचते हुये एसएटी ने यह पाया कि जहां भी विनियम द्वारा ईप्सित था कि आवेदक वार्षिक खाते प्रस्तुत करे, उस संबंध में विनियमों में एक विशिष्ट प्रावधान किया गया था। दूसरी ओर, आवेदक के प्रमोटर की शुद्ध सम्पत्ति 100 करोड़ रुपये पिछले पांच वर्षों में रही है, इसे प्रमाणित करने हेतु विनियमों द्वारा प्रमोटर के वार्षिक खातों को प्रस्तुत करवाये जाने की आवश्यकता नहीं है। विनियम फॉर्म ए के साथ यह प्रावधित करता है कि इस उद्देश्य के लिए चार्टेड अकाउंटेंट का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार यह निर्धारित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त दो वर्षों के संबंध में जो सूचना चाही गई है, वह विनियम एवं फॉर्म ए की परिधि से बाहर होने के कारण क्षेत्राधिकार के बिना थी।

18. इस प्रक्रम पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सीयू सिंह ने निवेदन किया कि अपील को गुणदोषों पर बल देना आवश्यक नहीं है, किन्तु एसएटी द्वारा चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र की सत्यता पर संदेह किये बिना इसे प्रश्नगत किये जाने के संबंध में अभिमत दिया गया है। बोर्ड को इस प्रकार प्रमोटर के वार्षिक खातों को प्रस्तुत करने का निर्देश देने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने निवेदन किया कि इस प्रकार की टिप्पणी से सेबी के अधिकारों में सारभूत कमी होगी और सीआरए द्वारा पंजीयन आवेदन करते समय आवेदक को सभी प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी रहेगी। इस सीमित उद्देश्य के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि एसएटी द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

19. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सूरी ने निवेदन किया कि बोर्ड को समस्त आवश्यक सूचना प्रस्तुत कर दी गई थी और जो अतिरिक्त दो वर्ष की सूचना चाही गई थी, वह फॉर्म ए के विभिन्न खण्डों एवं विनियम 4(ई) की परिधि से बाहर है। इस बात पर बल दिया कि इस बात की सूचना विनियम 7 के अन्तर्गत नहीं मांगी जा सकती है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह भी निवेदन रहा है कि आवेदन से पूर्व के पांच वर्षों के संबंध में भी प्रत्यर्थी को केवल मात्र चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा ही जारी किया गया प्रमाण पत्र ही देखा जाना था, जो प्रत्यर्थी के समक्ष विधिवत प्रस्तुत कर दिया गया है। हालांकि अपीलार्थी द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुति से पूर्व के पांच वर्षों के लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत कर दिये गये हैं। इसलिए अपीलार्थी द्वारा सीआरए के रूप में प्रत्यर्थी के पंजीकरण में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

20. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्कों पर एवं रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किया। इस प्रकरण में जो विवाद उत्पन्न हुआ है, वह मुख्य रूप से सीआरए विनियम, 1999 के विनियम 4(ई) एवं फॉर्म ए विनियम सहपठित 7 के अन्तर्निहित प्रावधानों के निर्वचन/व्याख्या के संदर्भ में रहा है। उपरोक्त प्रावधानों के विस्तार एवं क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए यह आवश्यक है कि सेबी अधिनियम एवं सीआरए विनियम, 1999 के प्रावधानों पर विहंगम दृष्टि डाली जावे। जैसा पूर्व में देखा गया है, सेबी अधिनियम की धारा 11 सहपठित धारा 30 द्वारा, जो विनियम बनाये गये हैं, वे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत बनाये गये हैं। धारा 30 बोर्ड को सशक्त करती है, वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप एवं सेबी के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु विनियम बनावें। धारा 30(2)(डी) बोर्ड को उन शर्तों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है, जिनके अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाना है, यथा पंजीकरण प्रमाण

पत्र के लिए भुगतान की जाने वाली शुल्क की राशि एवं धारा 12 के अन्तर्गत पंजीकरण का प्रमाण पत्र निलम्बित या रद्द करने की रीति। धारा 11 सेबी के निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उपाय करने अैर सुरक्षा बाजार को विनियमित करने के साथ-साथ प्रतिभूति बाजार से जुड़े रहने हेतु प्रगति और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे अन्य मध्यस्थों के कामकाजों को विनियमित और पंजीकृत करने का अधिकार देती है। विनियम 2(एच) सीआरए को एक निगमित निकाय के रूप में परिभाषित करता है, जो सार्वजनिक या राइट इश्यू के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों की रेटिंग के व्यवसाय में लगा हुआ है या इसमें समिल्लित होने का प्रस्ताव करता है। विनियम 2(बी) एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के संबंध में, जिसमें एक व्यक्ति भी शामिल है, को एक सहयोगी के रूप में परिभाषित करता हैः

(i) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने संबंधियों के साथ मिलकर कम से कम दस प्रतिशत वोटिंग अधिकारों वाली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के शेयरों का स्वामित्व या नियंत्रण रखता है, या

(ii) जिनके संबंध में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर दस प्रतिशत से कम मतदान अधिकार रखने वाले शेयरों का स्वामित्व या नियंत्रण रखती है,

(iii) जिनके अधिकांश निदेशक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के कम से कम दस प्रतिशत वोटिंग अधिकार रखने वाले शेयरों के स्वामी है या उन पर नियंत्रण रखते है, या

(iv) जिसका निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का निदेशक, कर्मचारी एवं अधिकारी भी है;

विनियम 2(पी) शुद्ध मूल्य को इस प्रकार परिभाषित करता हैः ''शुद्ध मूल्य का अर्थ है भुगतान की गई इक्विटी पूंजी और मुक्त भंडार (पुनर्मूल्यांकन से बनाये गये भण्डार को छोड़कर) का कुल मूल्य, जो संचित घाटे और स्थगित व्यय के कुल मूल्य से कम है एवं जो लिखा नहीं गया है, जिसमें उल्लेख नहीं किये हुये विविध खर्चे भी सम्मिलित हैं'

21. विनियम 3(1) में प्रावधान है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में कोई भी गतिविधि शुरू करने का प्रस्ताव करने वाला कोई भी व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए बोर्ड को आवेदन करेगा। विनियम 3(3) में प्रावधान है कि ऐसा आवेदन बोर्ड को विनियमों की अनुसूची के फॉर्म ए में किया जाएगा। इस प्रकरण में अन्तरवर्लित विधिक प्रश्न के निर्णय के लिए सुसंगत विनियम 4, 5, 6 और 7 इस प्रकार हैः-

''क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के प्रमोटर

4. बोर्ड द्वारा विनियमन

(3) के अन्तर्गत किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदक को निम्न में से किसी भी श्रेणी के व्यक्ति द्वारा प्रमोट (आगे बढ़ाया) नहीं किया जाता है, यथा

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 ए में परिभाषित एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान;

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में तात्कालिक रूप से समिल्लित एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक;

भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के साथ भारत में कार्यरत एक विदेशी बैंक;

किसी देश में बनाये गये कानून के अन्तर्गत निगमित अथवा उसके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त एक ऐसी विदेशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसके पास रेटिंग प्रतिभूतियों में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव है;

कोई भी कंपनी या कॉरपोरेट निकाय, जिसके पास इन विनियमों के अन्तर्गत प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए बोर्ड के साथ आवेदन प्रस्तुत करने से पहले पिछले पांच वर्षों के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार न्यूनतम एक सौ करोड़ रुपये की निरंतर शुद्ध संपत्ति है।

पात्रता मापदंड

5. बोर्ड द्वारा विनियम 3 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदक निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है, अर्थातः

आवेदक कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक कंपनी के रूप में स्थापित और पंजीकृत है;

आवेदक ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रेटिंग गतिविधि को अपने मुख्य उद्देश्यों में से एक के रूप में निर्दिष्ट किया है;

आवेदक की न्यूनतम शुद्ध संपत्ति पांच करोड़ रुपये है, परन्तु इन विनियमों के प्रभावी होते समय अस्तित्व में रही क्रेडिट रेटिंग एजैसी, जिसकी कुल संपत्ति पांच करोड़ रुपये से कम है, को इस शर्त को पूरा करने वाला माना जाएगा, यदि वह ऐसे आरंभ से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर अपनी शुद्ध संपत्ति को उपरोक्त न्यूनतम सीमा तक बढ़ा देती है।

आवेदक के पास अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार रेटिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा है;

विनियम 4 में निर्दिष्ट आवेदक और आवेदक के प्रवर्तकों के पास बोर्ड की संतुष्टि के लिए व्यावसायिक क्षमता, वित्तीय सुदृढ़ता और व्यावसायिक लेनदेन में निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा की सामान्य प्रतिष्ठा है;

आवेदक का कोई भी निदेशक या प्रमोटर प्रतिभूति बाजार से जुड़ी ऐसी किसी भी विधिक कार्यवाही में समिल्लित नहीं हो, जिसका निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

आवेदक, प्रमोटर अथवा इसके प्रमोटर के किसी भी निदेशक को पूर्व में किसी भी समय नैतिक अधमता या किसी आर्थिक अपराध से जुड़े किसी अपराध हेतु दोषसिद्ध नहीं किया गया हो;

आवेदक के नियोजन में बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार पर्याप्त व्यावसायिक एवं अन्य सुसंगत अनुभव रखने वाले व्यक्ति हो;

आवेदक अथवा आवेदक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी भी व्यक्ति के पूर्व में -

(i) बोर्ड द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत प्रमाण पत्र देने से इनकार नहीं किया गया हो

(ii) अधिनियम या अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम के उल्लंघन की कार्यवाही के अधीन।

स्पष्टीकरणः इस खंड के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति ''प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ व्यक्ति का अर्थ कोई भी व्यक्ति है, जो आवेदक की सहयोगी, सहायक, इंटर-कनेक्टेड या समूह कंपनी है या आवेदक के समान प्रबंधन के अन्तर्गत एक कंपनी है।

आवेदक, अन्य सभी मामलों में, प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति है;

आवेदक को प्रमाण पत्र प्रदान करना निवेशकों और प्रतिभूति बाजार के हित में है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त और उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004 की प्रयोज्यता।

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त और उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004 के प्रावधान, जहां तक संभव हो, इन विनियमों के अन्तर्गत सभी आवेदकों या क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर लागू होंगे।

आवश्यकताओं के अनुसार आवेदन

6. प्रमाण पत्र के लिए कोई भी आवेदन, जो उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है या विनियम 5 की आवश्यकता या फॉर्म ए में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नहीं है, बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, परन्तु बोर्ड द्वारा ऐसे किसी भी आवेदन को निरस्त करने से पूर्व आवेदक को सूचना दिये जाने से 30 दिन के भीतर ऐसी आपत्तियों को, जो बोर्ड द्वारा सूचित की जावे, को सुधार करने का अवसर प्रदान करेगा।

बशर्ते बोर्ड पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर आवेदक को ऐसी आपत्तियों को सुधार करने में सक्षम बनाने हेतु उचित है, तो अधिकतम 30 दिन के लिए इस अवधि का विस्तार कर सकेगा।

सूचना, स्पष्टीकरण और व्यक्तिगत अभ्यावेदन प्रस्तुत करना

7.(1) बोर्ड आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आवेदक की ऐसी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जिसे बोर्ड आवश्यक समझे।

(2) बोर्ड, यदि चाहे तो, आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व के लिए बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है।

22 पहली अनुसूची का फॉर्म ए आवेदक को आवेदन के साथ समस्त समर्थित दस्तावेजों के साथ जमा करवाना होगा। यह प्रपत्र प्रत्यर्थी द्वारा विधिवत भरते हुये प्रस्तुत किया गया था।

23. विनियमों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में पंजीकृत होने के योग्य होने के लिए आवेदक को विनियम 4 में उल्लिखित किसी भी श्रेणी से संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रमोटेड व्यक्ति/इकाई] होना चाहिए।

श्रेणियां 4(ए), (बी) और (सी) कंपनी अधिनियम की धारा 4(ए) में परिभाषित वित्तीय संस्थान हैं; भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल अनुसूची वाणिज्यिक बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक की मंजूरी के साथ भारत में कार्यरत विदेशी बैंक। निगमन के देश में लागू किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत मान्यता प्राप्त विदेशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, रेटिंग प्रतिभूतियों में कम से कम पांच साल का अनुभव श्रेणी 4(डी) के अंतर्गत आती है। प्रतिवादी श्रेणी 4(ई) के अंतर्गत आता है, जो किसी भी कंपनी या कॉरपोरेट निकाय से संबंधित है, जिसके पास आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, पिछले पांच वर्षों के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार न्यूनतम 100 करोड़ रुपये की निरंतर शुद्ध संपत्ति है। विनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु बोर्ड विनियम 5 पात्रता

मानदंड प्रदान करता है। यह प्रावधान है कि बोर्ड विनियम 3 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र देने के लिए किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि आवेदक उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है। विनियम 6 में प्रावधान है कि किसी प्रमाण पत्र के लिए कोई भी आवेदन जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है या विनियम 5 की आवश्यकताओं या फॉर्म ए में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुरूप नहीं है, बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि, यह आवश्यक है कि ऐसे किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने से पहले, आवेदक को बोर्ड द्वारा आवेदक को आपत्तियों की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर बोर्ड द्वारा बताई गई आपत्तियों को दूर करने का अवसर दिया जाएगा। आवेदक द्वारा पर्याप्त कारण बताए जाने पर बोर्ड के विवेक पर इस अवधि को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

24. विनियम 4, 5 और 6 को एक साथ पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि सेबी के पास विनियम 4 और 5 में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने पर आवेदन को अस्वीकार न करने का कोई विवेक नहीं है। वास्तव में, विनियम 4 यह अनिवार्य करता है बोर्ड विनियम 3 के तहत पंजीकरण के लिए किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि आवेदक को उसमें उल्लिखित किसी भी श्रेणी से संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रमोट नहीं किया जाता है।

इसी प्रकार, विनियम 5 स्पष्ट रूप से आदेश देता है कि बोर्ड विनियम 3 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र देने के लिए किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं करेगा, जब तक कि आवेदक खंड 5 के अन्तर्गत निर्धारित सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है। विनियम 6 फिर से प्रकृति में अनिवार्य है, जो प्रदान करता है कि जो आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है या विनियम 5 की आवश्यकता या फॉर्म ए में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुरूप नहीं है, उसे बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए

ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका की मंशा, जैसा कि नियमों के माध्यम से व्यक्त किया गया है, आवेदन की तारीख पर प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर आवेदन पर विचार करना बंद करना है। बोर्ड के पास आवेदक को सुनने के बाद आपत्तियों को दूर करने की अवधि को पहले 30 दिनों के लिए और उसके बाद 30 दिनों के लिए बढ़ाने का न्यूनतम विवेक है। दूसरे शब्दों में, विनियम 7 बोर्ड को विनियम 6 में निर्धारित विस्तारित समय के भीतर अधिक जानकारी मांगने में सक्षम बनाता है। आवेदन के प्रसंस्करण के उद्देश्य से, आपत्तियों को दूर करने के लिए सूचना/सामग्री बोर्ड द्वारा निर्धारित समय के भीतर प्रदान की जानी है। लेकिन प्रदान की गई अधिकतम अवधि 60 दिन है। नियमों के तहत समय को और आगे बढ़ाए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मांगी गई जानकारी आवेदन की तारीख से पांच वर्ष पहले के संबंध में होनी चाहिए। इस मामले को देखते हुए, हमारी राय है कि एसएटी द्वारा जारी किए गए निर्देश कि बोर्ड प्रत्यर्थी को आवेदन की तारीख के बाद दो वर्षों के लिए लेखा परीक्षित खातों को प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दे सकता था, प्रावधानों के अनुरूप है। नियमों का विनियम 7 के अन्तर्गत बोर्ड के पास आवेदन को प्रक्रियाधीन करने के उद्देश्य से अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण मांगने की शक्ति होगी। यह अतिरिक्त जानकारी आवेदन की तारीख से पहले के पांच वर्षों के लेखा परीक्षित खातों के संबंध में केवल आधारभूत जानकारी से संबंधित होगी। इसलिए जैसा कि ऊपर देखा गया है, एसएटी द्वारा की गई टिप्पणियों पूरी तरह से उचित है।

25. अब हम श्री सीयू सिंह द्वारा किए गए अंतिम निवेदन पर आते है कि बोर्ड को आवेदन की तारीख से पूर्व के पांच वर्षों के लिए आवेदक के लेखा परीक्षित खातों की मांग करने की अधिकारिता थी। यह सत्य है कि विनियम 4(ई) के अन्तर्गत एक आवेदक को यह बताना होगा कि बोर्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व

पिछले पांच वर्षों के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार उसकी कुल संपत्ति न्यूनतम 100 करोड़ रुपये है। फॉर्म ए का खंड 2 ''पात्रता मानदंड'' प्रदान करता है। खंड 2(1) के अन्तर्गत आवेदक को उस श्रेणी को इंगित करना होगा, जिसमें आवेदक कंपनी के प्रवर्तक विनियम 4 के अन्तर्गत आते हैं, जो इस मामले में 4 (ई) था। खंड 2(3) में प्रावधान है कि आवेदक को ''विनियम 4(ई) में उल्लिखित प्रमोटर के मामले में, पांच वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपये की निरंतर शुद्ध संपत्ति को प्रमाणित करने वाला एक चार्टेड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।'' जैसा कि ऊपर देखा गया है, विनियम 4(ई) कहता है कि आवेदन प्रस्तुत करने से पहले पांच साल के ऑडिट किए गए खातों के आधार पर शुद्ध संपत्ति का प्रमाण देना होगा। हमारे सामने यह विवादित नहीं है कि आवेदक ने मैसर्स कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड बैंकर्स के आधार पर पांच वर्षों के लिए 100 करोड़ रुपये की निरंतर शुद्ध संपत्ति को प्रमाणित करने वाला चार्टेड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। एसएटी ने विवादित आदेश में पाया कि प्रमाण पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के संबंध में प्रत्यर्थी से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था। श्री सीयू सिंह ने निवेदन किया कि चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र आईएनजी प्राइवेट बैंक के दिनांक 29 मई, 2009 के प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया था, जिसमें पुष्टि की गई थी कि मैसर्स कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड की पिछले पांच वर्षों के वार्षिक खातों के अनुसार कुल संपत्ति 100 करोड़ रुपये से अधिक थी। यह अंकेक्षित खातों के आधार पर प्रमाणित नहीं है, इसलिए प्रमाण पत्र नियमों के तहत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

26. हमारी मत में श्री सीयू सिंह द्वारा प्रस्तुत तर्कों में बल है और इसे निरस्त नहीं किया जा सकता। वास्तव में चार्टेड अकाउंटेंट्स द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र इस प्रकार हैः-

''नेट वर्थ प्रमाण पत्र

हम प्रमाणित करते हैं कि पिछले पांच वर्षों से मैसर्स कॉमेंट (मॉरीशस) लिमिटेड, लेस कैस्केड बिल्डिंग, एडिथ कैवेल स्ट्रीट, पोर्ट लुइस, मॉरीशस की लगातार शुद्ध संपत्ति की कीमत 100 करोड़ रुपये (एक सौ करोड़ रुपये) से अधिक है।

उपरोक्त जानकारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से हमारे ग्राहक के अनुरोध पर पूरी गोपनीयता के साथ दी गई है।

मैसर्स रजनीश एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टेड अकाउंटेंट

सही प्रमाणित प्रतिलिपि

एसडी/-

(साथी)

स्थानः नई दिल्ली सदस्यता संख्या 081180

दिनांकः 29.05.2009''

27. हम इस बात से संतुष्ट है कि उपरोक्त प्रमाण पत्र नियमों में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, जिसके लिए आवश्यक है कि आवेदन पत्र चार्टेड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्रमोटरों/आवेदक के ऑडिट की तारीख से पूर्व के पांच

वर्षों के खातों की पुष्टि में होना चाहिए। हम एसएटी द्वारा की गई टिप्पणियों को स्वीकार करने में असमर्थ है कि ''न तो नियमों और न ही फॉर्म ए में पात्रता मानदंड के लिए आवेदक को प्रमोटर के वार्षिक खाते प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।'' हम एसएटी की टिप्पणियों को भी स्वीकार करने में असमर्थ है कि ''यह संदेहास्पद है कि क्या बोर्ड ने आवेदन के साथ आए चार्टेड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र की सत्यता या शुद्धता पर संदेह किए बिना यह जानकारी मांगी होगी।'' चार्टेड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्रमोटर की आवश्यक शुद्ध संपत्ति का प्रमाण है। इसलिए इसे विनियम 4(ई) के अनुरूप होना चाहिए। चूंकि चार्टेड अकाउंटेंट्स द्वारा जारी प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया था कि यह आवेदन की तारीख से पूर्व के 5 वर्षों के ऑडिट किए गए खातों पर आधारित है, बोर्ड के पास निश्चित रूप से प्रत्यर्थी को ऑडिट किए गए खातों को प्रस्तुत करने का निर्देश देने की शक्ति थी। ऐसा होने पर, विनियम 6 के अन्तर्गत यह बोर्ड का कर्तव्य था कि वह प्रत्यर्थी के आवेदन को अस्वीकार कर देता।

28. आश्चर्यजनक रूप से, हालांकि, बोर्ड ने विनियम 6 के प्रावधान के अन्तर्गत अनुमत अधिकतम साठ दिनों से भी अधिक समय तक प्रत्यर्थी को आपत्तियां दूर करने के लिए समय प्रदान किया। ऐसा प्रतीत होता है कि पूछताछ 20 अगस्त, 2009 से 1 मार्च, 2011 तक जारी रही। जब प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, प्रत्यर्थी का आवेदन 21 जुलाई, 2011 तक निरस्त नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी के आवेदन को निरस्त करने में देरी पूरी तरह से अनुचित थी। इसने प्रत्यर्थी को नियमों के अन्तर्गत अनुमत नहीं होने के बावजूद अनुमति दी। इस अनुमति का लाभ उठाते हुए, प्रत्यर्थी ने आवेदन की तारीख से पूर्व के पांच वर्षों के लिए लेखा परीक्षित खाते प्रदान किए हैं। इतना ही नहीं, हमें सूचित किया गया है कि अब तक प्रत्यर्थी द्वारा मैसर्स कॉमेंट (मॉरीशस)

लिमिटेड के अगले दो वर्षों के लिए, अर्थात 31 दिसम्बर, 2010 तक के लेखा परीक्षित खातों को एक सीलबंद लिफाफे में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया गया है।

29. चूंकि गणना में अनुमति नहीं होने के बावजूद बोर्ड द्वारा प्रत्यर्थी के लिए समय विस्तारित कर दिया गया था, हम एसएटी द्वारा जारी निर्देशों को संशोधित करने हेतु तत्पर नहीं है। विशेष रूप से श्री सुरी के इस कथन को दृष्टिगत रखते हुये कि प्रत्यर्थी इस प्रक्रम पर अगले दो वर्षों के लिए भी प्रमोटर के लेखा परीक्षित खातों को प्रस्तुत करने हेतु तत्पर है।

30.उपरोक्त के प्रकाश में प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से इसे खर्चे के संबंध में कोई आदेश दिये बिना निरस्त किया जाता है।

अपील निरस्त की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **नंदिनी व्यास (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है।

अस्वीकारण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अग्रेंजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।